पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 175/2022

अनवान : -

भूपसिंह पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी भिरानी त0 भादरा ।

:- वादी

बनाम

1. राजेशकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्रीमति शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी तथा वकील प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तूत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही रोही मोजा डाबड़ी के खाता सं0 242/383 के खसरा सं0 303 की 2.821 है0 बारानी खातेदारी में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 19.05.2023 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी एवं प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपती पेश नही की । अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मोजा डाबड़ी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता हैः–

विभाजन : रोही मोजा डाबड़ीः–

राजेश पुत्र ओमप्रकाश 0.652 है0 जाति कुम्हार सा0 भादरा :– रोही मौजा डाबड़ी के ख0स0 303/1 की 0. 613है0 बारानी, खसरा सं0 303/2 की 0.039 रास्ता।

भूपसिंह पुत्र रणसिंह 2.169 जाति जाट सा0 भिरानीः– रोही मौजा डाबड़ी 303/4 की 2. 169 है0 बारानी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा यदि किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। **तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा को पर्चा डिक्री का भाग समझा जावें।**

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.09.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

Scanned with CamScanner